दिनांक 18.05.2023 को जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का एजेण्डा ।

1. नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2023 के ड्राफ्ट पर चर्चाः राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 का प्रख्यापन प्रस्तावित है। प्रस्तावित नीति के प्रख्यापन से पूर्व नीति के ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव प्राप्त किया जाना है।

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2023 का उद्देश्यः

(I) उत्तराखण्ड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीनकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए प्रमुख गंतव्य के रुप में प्रतिस्थापित करना, जो सुरक्षित, स्थायी और समावेशी हो और जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के विनिर्माण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों।

(II) नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के साथ–साथ राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाना ताकि अन्य प्रदेशों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा सके।

(III) नई तथा विद्यमान इकाईयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।

(IV) राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ उद्यमियों को देना।

(क) वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण

श्रेणी	**सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र**
श्रेणी–ए	जिला **रुद्रप्रयाग,** पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग। जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)
श्रेणी–सी	जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुंआ।

जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित विनिर्माणक क्षेत्र की गतिविधियां/क्रियाकलाप

विनिर्माणक क्षेत्र के अनुमन्य क्रियाकलाप/गतिविधियांः–

(I) निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम

(II) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

निषेध सूचीः–

(I) केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित है।

(II) केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला

(III) उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001, दिनांक 16.02.2021 तथा प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 के द्वारा दिनांक 01.07.2021 द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद ,120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, पॉलिथीन तथा प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग।

(IV) ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।

(V) आरा मिल।

(VI) पटाखों का विनिर्माण।

(VII) खनन तथा स्टोन क्रेशर की इकाईयॉ (सोप स्टोन प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)

(VIII) थर्मल पॉवर प्लांट

(IX) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।

(X) पर्यावरण सम्बन्धी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा सम्बन्धित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयॉ।

(XI) भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

वित्तीय प्रोत्साहन (उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2015 तथा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 में तुलनात्मक विवरण)

<table>
<tr><td rowspan="2">क्र सं</td><td colspan="8">वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायतायें</td></tr>
<tr><td colspan="2">उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2015</td><td colspan="6">उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">राज्य पूंजी उपादान</td><td rowspan="4">उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गए अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख) की निवेश प्रोत्साहन सहायता देय है।
नोटः पूंजी निवेश उपादान की धनराशि एकमुश्त इकाई के ऋण खाते में समायोजित की जाती थी।</td><td rowspan="4">राज्य पूंजी उपादान</td><td>इकाई प्रकार</td><td>सूक्ष्म</td><td>लघु</td><td>मध्यम</td><td>वृहद</td></tr>
<tr><td>क्षेत्र</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रु. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रु. 1 करोड़ अधिक, रु. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रु. 5 करोड़ अधिक, रु. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td><td>संयंत्र व मशीनरी में रु. 10 करोड़ अधिक, रु. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम</td></tr>
<tr><td>श्रेणी ए</td><td>स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 50 लाख)</td><td>रु. 50 लाख+ रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.50 करोड़)</td><td>रु. 1.50 करोड़ + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2.50 करोड़)</td><td>रु. 2.50 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रु. 04 करोड़)</td></tr>
<tr><td colspan="5">नोटः कुल स्वीकृत/अनुमन्य पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 07 वर्षों में 07 समान किश्तों में किया जायेगा।
अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायताः– राज्य में स्थापित होने वाले निम्नलिखित श्रेणी के उद्यमों को 05 प्रतिशत (सूक्ष्म इकाई को अधिकतम रु. 05 लाख, लघु इकाई को अधिकतम 10 लाख तथा मध्यम इकाई को अधिकतक रु. 15 लाख) की अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान की जायेगीः
1. औषधीय, हर्बल एवं सगन्ध पौध, नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग।
2. पिरुल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माण।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
4. सम्बन्धित जनपद में ‘‘एक जनपद दो उत्पाद’’ योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माण उद्यम।
5. राज्य के जी आई टैग प्राप्त उत्पाद।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित विनिर्माण उद्यम। (उद्यम की अधिकारिता में इस श्रेणी के उद्यमियों की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत अनिवार्य होगी)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र सं</th><th colspan="3">वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायतायें</th></tr>
<tr><th></th><th colspan="2">उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2015</th><th>उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति–2023</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>ब्याज उपादान</td><td>चिन्हित उद्यम स्थापना हेतु बैंकों से प्राप्त टर्म लोन के सापेक्ष 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 08.00 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) ब्याज उपादान देय है।</td><td>संस्थागत वित्तीय हेतु प्रोत्साहन सहायता</td><td>सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एडं स्माल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजनान्तर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर बैंक द्वारा ली जाने वाली वार्षिक गारन्टी फीस (AGF) की 03 वर्ष तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्टाम्प शुल्क में छूट</td><td>उद्यम स्थापना हेतु भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लिए जाने हेतु लागू स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट देय है।</td><td>स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति</td><td>श्रेणी ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रुप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति</td><td>जनपद में स्थापित कम विद्युत खर्च वाले चिन्हित उद्यमों हेतु विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति निम्नवत देय हैः–
<table>
<tr><th>संयोजित विद्युतभार</th><th>श्रेणी ए जनपद</th></tr>
<tr><td>100 केवीए</td><td>प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत</td></tr>
</table></td><td>विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति</td><td>योजनान्तर्गत विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>विशेष राज्य परिवहन उपादान</td><td>श्रेणी ए के जनपद हेतु वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन पर माल भाड़े में वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।</td><td>विशेष राज्य परिवहन उपादान</td><td>योजनान्तर्गत विशेष राज्य परिवहन उपादान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति</td><td>कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी कर देयता, जिसे राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी.) को विक्रय से सम्बन्धित हो, का 90 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति देय है।</td><td>माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति</td><td>योजनान्तर्गत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>गुणवत्ता प्रमाणीकरण (ISO) सहायता की प्रतिपूर्ति</td><td>गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 01.00 लाख प्रतिपूर्ति सहायता देय है।</td><td>गुणवत्ता प्रमाणीकरण (ISO) सहायता की प्रतिपूर्ति</td><td>योजनान्तर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण (ISO) सहायता का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।</td></tr>
</table>

2. मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाईयों की समस्याओं पर चर्चाः

3. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृतिः–

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाईयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति– 2015 के तहत् औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृतिः–

(क) ब्याज उपादानः–

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146– एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम् रू. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
1. मै. होटल एडं रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड,झिरमोली	सावधि ऋण	82.50	10.25	01.01.23 से 31.03.23	1,07,747.00	2,628.00	1,05,119.00
2. मै. टूरिया हैली रिसोर्ट, जामू	सावधि ऋण	67.50	11.30	01.01.23 से 31.03.23	48,544.00	7,751.00	40,793.00
				योग	**1,56,291.00**	**10,379.00**	**1,45,912.00**

समिति से अनुरोध है कि उक्त औद्योगिक इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

5. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचारः–

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत निम्न इकाइयों के सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राप्त हुये है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	उद्यम	स्थान	सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा विवरण
1.	मै. अनीता देवी होटल एवं रेस्टारेंट (प्रो. श्रीमती अनीता देवी)	होटल एवं रेस्टारेंट	सांकरी, गुप्तकाशी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डः In principal approved to obtain CTE and CCA under Air, water Acts. विद्युत विभागः Yes अग्शिमन विभागः Fire department has no objection for principle approval subject to submission of the complete plans (Maps of Hotel) with a proforma related to fire department befotre pre establishment of the hotel. पर्यटन विभागः After the completion of the construction work of your unit, you will have to register your hotel/resot online on the Uttrakhand Tourism Travel Trade Registration Act. जल संस्थानः connection can be provide.

अतः समिति से उक्त इकाई को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध है।

6. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः–